सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड** R.A.S.

**अपील प्रार्थना पत्र संख्या :–** 01/2017 **दायर तारीख** 03.01.2017

1. गिरधारी पुत्र राम सहाय जाति मीणा निवासी ढाणी मालेरा, बडौदिया तहसील विराटनगर। ***—: अपीलार्थी***

***बनाम***

1. राजस्थान सरकार, जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर,जिला जयपुर
2. ग्राम पंचायत आमलोदा दूदी, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत आमलोदा तहसील विराटनगर **— प्रत्यर्थीगण**

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश, नामान्तकरण रजिस्टर प्रविष्टि क्र०सं० 85 (ग्राम भिण्डोर, पटवार हलका आमलोदा) दिनांक 10.01.1998 सरपंच ग्राम पंचायत आमलोदा दूदी को निरस्त फरमाने बाबत।**

उपस्थित :– श्री गुरूशरण दास गौतम, अधिवक्ता अपीलार्थी

पैरोकार सरकार

***निर्णय***

***निर्णय दिनांक :– 09.01.2018***

1. अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भिण्डोर के खाता संख्या 74 में दर्ज खसरा नम्बर 265/0.19, 266/0.15, 276/0.13, 277/0.20 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.67 हैक्टेयर की खातेदारी रामसहाय पुत्र भूरा, भगवाना पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। अपीलार्थी के पिता रामसहाय की मृत्यु दिनांक 02.04.1996 को होने बाद अपीलार्थी एवं अन्य वारिसान अपनी पिता की कृषि भूमि पर कब्जे काश्त में चले आ रहे है। मृतक रामसहाय के वारिसान के रूप में राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज करने के लिए संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 20.12.1997 को नामान्तकरण भरकर प्रस्तुत किया गया, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 03.01.1998 को अपनी टिप्पणी अभिलेख करने बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत आमलोदा द्वारा मनमाने तरीके से नामान्तकरण रजिस्टर के प्रविष्टि क्रम संख्या 85 ग्राम भिण्डोर दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.01.1998 को मृतक खातेदार के वारिसान के नाम इस टिप्पणी के साथ कि '' प्रार्थी का 40 वर्ष से कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है'' नामान्तकरण दर्ज नहीं किया। सरपंच ग्राम पंचायत ने यह आदेश पारित कर अपीलार्थी एवं मृतक खातेदार के अन्य वारिसान को उनके खातेदारी हक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है, जो कतई न्यायसंगत नहीं है। अतः कार्यवाही नामान्तकरण दिनांक 10.01.1998 ग्राम पंचायत आमलोदा विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय एवं अपास्तनीय है। संबंधित पटवारी द्वारा वारिसान के नाम भरकर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित नामान्तकरण प्रस्तुत करने के बावजूद कब्जे के संबंध में बिना किसी जांच के एवं बिना किसी अधिकार के ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण कार्यवाही अस्वीकार करने के आदेश पारित किए जो अपास्त किये जाने योग्य है। हस्तगत फौतगी नामान्तकरण सरासर मनमाने तरीके से कब्जे के आधार पर अस्वीकार किया गया है, जो अपास्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार एवं कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कब्जे काश्त एवं मृतक खातेदार के खातेदारी अधिकारों को भी पिछले 40 वर्ष से कब्जा नहीं मानकर मनमाना आदेश पारित किया है, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है, ऐसे में 40 साल के कब्जे का निर्धारण करना सर्वथा मनमानी है। अपने आदेश में ग्राम पंचायत ने प्रार्थी का कब्जा नहीं है अंकित किया है, यहां प्रार्थी किसे संबोधित किया गया है, जबकि मृतक खातेदार के उक्त वक्त कुल 6 वारिस थे, जिनके पक्ष में नामान्तकरण खोला जाना था, ऐसे में कोई अकेला प्रार्थी था ही नहीं, साथ ही यदि उक्त शब्द प्रार्थी या प्रार्थीगण मान भी लिया जावे, तो भी मृतक के वारिसान यानी प्रार्थीगण का उक्त वक्त भूमि 40 वर्ष से कब्जा होना कतई संभव नहीं था, क्योंकि उनके नाम तो खातेदारी उस वक्त तक दर्ज ही नहीं हुई थी, ऐसे में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण अस्वीकार करने में बडी कानूनी एवं तकनिकी भूल की है। ग्राम पंचायत को इस प्रकार किसी के कानूनी खातेदारी हक अधिकारों को मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत आमलोदा के नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम भिण्डोर के प्रविष्टि क्रम संख्या 85 दिनांक 10.01.1998 को निरस्त फरमाया जावे एवं मृतक खातेदार रामसहाय पुत्र भूरा उर्फ भंवरा मीणा के वारिसान अपीलार्थी एवं अन्य वारिसान के नाम उनके हिस्से मुताबिक नामान्तकरण दर्ज करवाए जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा फरमावें।

2. अपील प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रत्यर्थीगण की तल्बी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 10.01.1998 ग्राम पंचायत आमलोदा, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 74 संवत् 2071–2074, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रामसहाय, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र महादेव मीणा आदि पेश किये गये।
4. ग्राम पंचायत आमलोदा ने जवाब पेश किया कि विरासत मे कब्जा होने व नहीं होने बाबत नामान्तकरण अस्वीकार करने में सहमत नहीं है, मृतक के वारिसान के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया जाता है, तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
5. बहस वकील अपीलार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस रही कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार एवं कानूनी प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कब्जे काश्त एवं मृतक खातेदार के खातेदारी अधिकारों को भी पिछले 40 वर्ष से कब्जा नहीं मानकर मनमाना आदेश पारित किया है, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है, ऐसे में 40 साल के कब्जे का निर्धारण करना सर्वथा मनमानी है।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुगंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट जाहिर है कि ग्राम भिण्डोर के खाता संख्या 74 में दर्ज खसरा नम्बर 265/0.19, 266/0.15, 276/0.13, 277/0.20 हैक्टेयर की खातेदारी रामसहाय पुत्र भूरा, भगवाना पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र मृतक रामसहाय के स्वरूपी देवी (पत्नि फौत), महादेव (पुत्र फौत), किशनलाल, रामचन्द्र, पप्पूराम, गिरधारी (पुत्र) वारिसान है, उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र के पिछे अंकित वारिसनामा गवाह वार्ड पंच व सरपंच ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा प्रमाणित है। दिनांक 10.01.1998 को मृतक खातेदार के वारिसान के नाम इस टिप्पणी के साथ कि " प्रार्थी का 40 वर्ष से कब्जा नहीं होने के कारण नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है" नामान्तकरण दर्ज नहीं किया। सरपंच ग्राम पंचायत ने यह आदेश पारित कर अपीलार्थी एवं मृतक खातेदार के अन्य वारिसान को उनके खातेदारी हक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है, जो कतई न्यायसंगत नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर बिना उक्त भूमि का मौका निरीक्षण किये व बिना कब्जा की जानकारी किये ही अपना निर्णय दिया उक्त निर्णय स्पेकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं आने से खारिज किये जाने योग्य पाता हूँ। अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। ग्राम पंचायत को इस प्रकार किसी के कानूनी खातेदारी हक अधिकारों को मनमाने व विधि विरूद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने बिना तथ्यों की जांच किये रिकार्ड व मौका के विपरीत हस्तगत नामान्तकरण खारिज

किया है, वारिसनामा पत्र के विपरित स्थिति को दर्शाते हुए नामान्तकरण खारिज करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। हस्तगत नामान्तकरण अस्वीकार होने से अपीलार्थी एवं वारिसान के अधिकार प्रभावित हुए है। नामान्तकरण के समय अपीलार्थी का सुना जाना भी नहीं पाया जाता है। अतः अपीलान्ट की अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद मानते हुए धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत के नामान्तकरण प्रविष्टि क्रम संख्या 85 दिनांक 10.01.1998 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार विराटनगर को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि आराजी के मृतक खातेदार के वास्तविक वारिसान की जांच कर विधि सम्मत तरीके से पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार विराटनगर को भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी<br>
विराटनगर